निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 238/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. रमेश बुनकर पुत्र श्री नेनूराम बुनकर
2. कन्हैयालाल पुत्र श्री सोणाराम पौत्र बेणाराम बलाई
3. मूला पुत्र स्व॰ श्री बेणाराम बलाई

समस्त जाति बुनकर निवासी आमावाली ढाणी, मथुरादासपुरा, लांगडियावास, बडा गेला, नायला रोड, रामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1 उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) पीठासीन अधिकारी श्री अनिल चौधरी आर॰ए॰एस॰ ।

2 श्रीमती रामप्यारी पुत्री स्व॰ श्री वेणाराम बलाई पत्नी रामदयाल बलाई जाति बलाई निवासी आमावाली ढाणी, मथुरादासपुरा, लांगडियावास, बडा गेला, नायला रोड, रामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

3 लालाराम पुत्र स्व॰ श्री बेणाराम बलाई

4 गोपीराम पुत्र स्व॰ श्री बेणाराम बलाई

5 कृष्ण कुमार पुत्र सोणाराम पौत्र स्व॰ श्री बेणाराम बलाई

6 श्रीमती शान्ती देवी पत्नी सोणाराम बलाई

समस्त जाति बलाई, निवासी आमावाली ढाणी, मथुरादासपुरा, लांगडियावास, बडा गेला, नायला रोड, रामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

7 मुकेश पुत्र नेहनू नाबालिग जरिये संरक्षक माता गुल्ली बेवा नेहनू जाति बलाई निवासी आमावाली ढाणी, मथुरादासपुरा, लांगडियावास, बडा गेला, नायला रोड, रामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

8 जमना पुत्री नेहनू

9 तीजा पुत्री नेहनू

10 छोटा पुत्री नेहनू

11 पूजा पुत्री नेहनू

12 श्रीमती गुल्ली बेवा नेहनू

समस्त जाति बलाई, निवासी आमावाली ढाणी, मथुरादासपुरा, लांगडियावास, बडा गेला, नायला रोड, रामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

13 भूरा दत्तक पुत्र औकार

14 चन्दालाल पुत्र छोटू

15 श्रीमती काली देवी पत्नी स्व॰ श्री छोटू

जिला कलक्टर
जयपुर

समस्त जाति बलाई, निवासी आमावाली ढाणी, मथुरादासपुरा, लांगडियावास, बडा गेला, नायला रोड, रामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

16 श्रीमती मूली देवी पंत्नी घासीराम रेगर निवासी बल्लूपुरा, पोस्ट सुमेल, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।

17 लक्ष्मण पुत्र छोटू राम बलाई निवासी ग्राम रूपा की नांगल, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

18 श्रीमती प्रेम लता पत्नी अशोक कुमार सांखला जाति सांखला निवासी अशोक भवन, चांदी की टकसाल, जयपुर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 341/2020 एवं 183/2020 ब उनवानी रामप्यारी बनाम लालाराम व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री विनोद कुमार सैनी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र कुमार यादव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।
3. श्रीमती ज्योति सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, 6 7, व 12 की ओर से

निर्णय **दिनांक 02.01.2023**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष प्रकरण संख्या 341/2020 व प्रार्थना पत्र संख्या 183/2020 व उनवानी रामप्यारी बनाम लालाराम व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र कुमार यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी संख्या 3, 6 7, व 12 की ओर से वकील श्रीमती ज्योति सैनी उने उपस्थित हो कर वकालतनामा व जवाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के यहां विचाराधीन था जिसको प्रार्थिया के द्वारा प्रतिवादीगण को बिना सुने जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
जयपुर

महोदय के यहां इस्तगासा प्रार्थना पत्र लगा कर प्रतिवादी को बिना सुने एक पक्षीय निर्णय दिनांक 02.03.2020 को पुनर्विचार प्रार्थना पत्र 150/2019 व जगदीश प्रसाद बनाम उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ व अन्य में आदेश पारित करवा लिए गये तथा दिनांक 02. 03.2020 को जिला कलक्टर महोदय ने उक्त पत्रावली उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को स्थानान्तरित कर दी गयी। तब से उक्त पत्रावली उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में अग्रिम कार्यवाही हेतु विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.03.2021 की पेशी पर प्रार्थीगण संख्या 2, 4 व 7 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा उसी दिन प्रार्थी–वादी अधिवक्ता से प्रार्थना पत्र व दावा पत्र की नकल हेतु निवेदन किया गया तथा प्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि अब यह पत्रावली मेरे अधीन आ गयी है, इसमें मै चाहू जैसा आदेश करवा सकता हूँ । क्योंकि पीठासीन अधिकारी मेरे जानकार है तथा मै जैसा चाहू वैसे आदेश पारित करवा सकता हूँ। प्रतिवादी के अधिवक्ता को नकल नहीं दी गई तथा उसके पश्चात दिनांक 19.04.2021, 19.05.2021, 17.06.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 01.09.2021, 07.09.2021, 28.09.2021, 01.11.2021, 10.11.2021 उसके पश्चात भी प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी–प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा उसके बाद भी अप्रार्थीगण–प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र नकल दिलाने हेतु प्रस्तुत किया गया, उसके पश्चात प्रार्थिया–वादी के अधिवक्ता के द्वारा प्रतिलिपि नहीं दी गई तथा उसके पश्चात न्यायालय के द्वारा 18.11.2021, 25.11.2021, तथा 06.12.2021 के बाद 13.12. 2021 को प्रतिलिपि दिलाई गई। प्रतिलिपि प्राप्त होने के पश्चात न्यायालय को मौखिक रूप से अवगत करवा दिया गया था कि अप्रार्थी–प्रतिवादी संख्या 10 व 16 की मृत्यु दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी थी तथा प्रार्थिया वादिया के अधिवक्ता के द्वारा मरे हुये व्यक्ति की तामिल जरिये रजिस्टर्ड फर्जी रूप से तामिल करवा कर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थिया वादिया के अधिवक्ता के द्वारा उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर उत्तर के रीडर व अन्य कर्मचारियों पर दबाव बना कर अपनी मनमर्जी से पत्रावली में तारीखें दी जाती है तथा अप्रार्थीगण–प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को संबंधित रीडर के द्वारा कहा जाता है कि प्रार्थिया–वादिया के अधिवक्ता के कहने पर ही आपको आगामी तारीख दूंगा तथा उसके पश्चात रीडर के द्वारा लगातार महिने में छोटी छोटी तारीखें दी जाती है तथा प्रार्थिया–वादीया के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में कहा जाता है कि पीठासीन अधिकारी मेरे नजदीक व जानकारी है, मै जैसा चाहू वैसा आदेश पारित करवा सकता हूँ। ऐसी एलानियां धमकी प्रार्थिया वादिया के अधिवक्ता के द्वारा कई बार खुले न्यायालय में अप्रार्थीगण–प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

जिला कलक्टर
जयपुर

को दी गई तथा उसके पश्चात लगातार न्यायालय के कर्मचारी भी प्रार्थिया–वादिया के अधिवक्ता के दबाव मे काम कर रहे है। इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण–प्रतिवादीगण को न्याय मिलने की उम्मीद कतई नहीं है। प्रार्थिया–वादिया के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी के बहार ही कुर्सी लगा कर वकालत करते है तथा कई बार प्रार्थिया–वादिया के अधिवक्ता को पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में से निकलते हुये देखा तथा अप्रार्थी ने चैम्बर से निकलते ही प्रार्थी को धमकी दी कि अधिकारी मेरा मिलने वाला है, इसलिए उक्त पत्रावली मे निर्णय मेरे पक्ष में करवा कर रहूँगा । इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दिनांक 04.10.2022 को माननीय न्यायालय के द्वारा पत्रावली सुनवाई हेतु नियत थी तथा उस दिन अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आगामी कार्यवाही हेतु रीडर से निवेदन किया तथा रीडर के द्वारा कहा गया कि आज पीठासीन अधिकारी न्यायालय में सुनवाई नहीं करेंगे तथा आगामी तारीख 19.10.2022 को दे दी गई तथा उसके पश्चात प्रार्थिया वादिया के अधिवक्ता के द्वारा उक्त तारीख पेशी को बिना सूचित करवाये 7.10.2022 को परिवर्तित करवा ली गई तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा जब जीसीएमएस पोर्टल पर चैक किया गया तो 19.10.2022 की जगह 07.10.2022 तारीख अंकित थी, तब अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो कर तारीख पेशी बदलने बाबत निवेदन किया तो कोई संतोष पूर्ण जबाब नहीं दिया गया इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को इस न्यायालय से न्याय प्राप्त करने की कतई उम्मीद नही है तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता से पत्रावली पर अंकित कर पत्रावली ट्रान्सफर करने हेतु समय चाहा लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया इस कारण अप्रार्थीगण व्यथित हो कर अपनी पत्रावली ट्रान्सफर करवाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ के न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्राथी संख्या 3, 6, 7 व 12 के अधिवक्ता ने भी प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुये प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में ट्रान्सफर किये जाने का निवेदन किया है।

6. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि उक्त प्रकरण को येनकेन प्रकारेण जमवारामगढ ले जाना चाहते है। प्रार्थिया को जमवारामगढ जाने पर धमकी दी जाती है प्रार्थिया के साथ कुछ भी घटना कारित कर सकते है। वहां पर पीठासीन अधिकारी पर अनावश्यक दबाव बनाते है। पूर्व में उक्त

जिला कलक्टर
जयपुर

पत्रावली को जयपुर स्थित न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया है। इसलिए जमवारामगढ को छोड़ कर जयपुर स्थित किसी भी न्यायालय में सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रकरण में तारीख पेशी उभय पक्ष अधिवक्ता की सहमति से दिया जाना बताया है। पूर्व में उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष लम्बित था, जिसमें मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में अन्तरित किया गया है। अप्रार्थी ने आरोपों की पुष्टि में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी ने प्रकरण को केवल जमवारामगढ ही स्थानान्तरित किये ज़ाने का अनुरोध किया है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति इस्ब कायदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर